

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जितेन्द्र चौधरी बनाम लो.सू.अ.( तहसीलदार भोपालगढ ) सू.अ.अ. अपील संख्या 264/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-09-2022	<p>अपीलार्थी जितेन्द्र चौधरी पुत्र कोजाराम चौधरी निवासी भंवरियों की ढाणी, सूरपुरा खूर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.06.2022 में (1) तहसील के नियमन आदेश कमांक/राजस्व/80/732 दिनांक 31.12.1980, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार भोपालगढ ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार भोपालगढ ) से जरिये पत्रांक 288 दिनांक 07.09.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमन आदेश कमांक/राजस्व/80/732 दिनांक 31.12.1980 से संबंधित है तथा दिनांक 31.12.1980 को भोपालगढ में तहसील कार्यालय सृजित नहीं था अतः प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक/रीडर/सू.अ./2022/272 दिनांक 30.08.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार 31.12.1980 को तहसील कार्यालय भोपालगढ का सृजन भी नहीं हुआ तथा अपीलार्थी ने वर्ष 1980 में जारी आदेश की पूर्ण विशिष्टियां उल्लेखित होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	